उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-19/2016/548(1)/38-6-16-04(एनआरएलएम)/2015

लखनऊः दिनांक- 06 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र</u>

शासनादेश संख्या-11/369/38-6-16-04(एनआरएलएम)/2015, दि0-28.04.2016 द्वारा (एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत एससीएसपी मद अनुदान सं0-83 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0-864.37 लाख(के0 60+रा040) की धनराशि केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखी गयी है। उक्त शासनादेश का शुद्धिपत्र सं0-18/548/38-6-16-02(एनआरएलएम)/2015टीसी, दि0-27.06.2016 को जारी किया गया है। उक्त शुद्धि पत्र के प्रथम प्रस्तर में "सामान्य मद अनुदान सं0-13" के स्थान पर 'एससीएसपी मद अनुदान सं0-83' संशोधन स्वरूप पढा जाए।

2- इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-11/369/38-6-16-04(एनआरएलएम)/2015 टीसी, दि0-28.04.2016 एवं शुद्धि-पत्र दि0-27.06.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

वी0हेकाली झिमोमी

सचिव।

<u>संख्या-19/2016/548(2)/38-6-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
11- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in